न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2655–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 32/2014–15/अ–70

....

1– लक्ष्मण सिंह पुत्र पहलवान सिंह रावत
2– राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत
3– कमल किशोर पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत
4– माखन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत
5– वीरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत
समस्त निवासीगण–मौजा तुर्कनी
ग्राम–दिहायला, जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

................आवेदकगण

विरूद्ध

संजय कुमार जैन पुत्र लालमणि जैन
निवासी–माधौगंज, लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
हाल निवासी–गणेश कॉलोनी, नया बाजार
लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)

...................अनावेदक

....

श्रीमती आयूषी ओझा, अभिभाषक, आवेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21-1-2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला–शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि आवेदकगण ने 19 वर्ष पूर्व अनावेदक से 5 लाख रूपये में कय की थी। उक्त भूमि शासन

आदेशानुसार सोनचिडिया अभ्यारण प्रतिबंधित क्षेत्र में होने से विकय पत्र संपादित नहीं हो सका। इसके पश्चात लगातार 19 वर्षों से आवेदकगण उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं। अनावेदक के मन में बद्‌यान्ति आ जाने के कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत अवैध कब्जा हटाने हेतु तहसीलदार नरवर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसपर आवेदकगण को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस पर लेने से इंकार टीप अंकित कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि कोई व्यक्ति उक्त नोटिस को देने ही नहीं आया और मनमाने तरीके से लेने से इंकार टीप अंकित कर दी गई। इसी के आधार पर तहसीलदार ने दिनांक 7–5–2015 को आवेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दे दिये और प्रकरण सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित कर दिया। इसके पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 29–5–19 को अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण को सिविल जेल हेतु वारंट जारी करने के आदेश दे दिये हैं। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं की सत्यापित प्रतियों का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदकगण को कारण बताओ नोटिस देकर दिनांक 22–1–2015 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया जिसके पृष्ठ भाग पर लेने से इंकार टीप अंकित है। तत्पश्चात तहसीलदार के आदेश दिनांक 16–4–15 जिसके द्वारा आवेदकगण पर धारा 250 के अन्तर्गत अवैध कब्जा पाते हुये अर्थदण्ड रूपये 55000/– अधिरोपित कर आदेश का निर्वाहन आवेदकगण को कराया, परन्तु वह भी आवेदकगण ने लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 22–5–15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया उसे भी आवेदकगण द्वारा लेने से इंकार किया गया। इसके पश्चात ही अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 29–5–2015 को आवेदकगण

के विरूद्ध जेल सुपुर्दगी वारंट जारी किया है। स्पष्ट है तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण को दो सूचना पत्र जारी हुये तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को दो बार सुचना पत्र जारी होने के बावजूद भी आवेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार एक प्रकरण में आवेदकगण को चार बार दो अलग–अलग न्यायालयों से सूचना जारी की गई और आवेदकगण का यह कहना कि उक्त नोटिसों पर लेने से इंकार फर्जी से अंकित कर दी गई है, निराधार प्रतीत होता है। इसकी पुष्टि के संबंध में कोई आधार आवेदक प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। जब आवेदकगण को जेल सुपुर्दगी वारंट जारी हुआ तो किस प्रकार उन्हें इसकी सूचना हुई और अब किस कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय में उपस्थित हुये है इसका कोई आधार दर्शाने में असमर्थ रहे। चूंकि तहसीलदार ने आवेदकगण के विरूद्ध धारा 250 के अन्तर्गत दिनांक 16–4–2015 को बेदखली के आदेश दिये हैं। इसके बाद अनुविभागीय अधिकरी ने उक्त आदेश के कम में कब्जा नहीं हटाने के कारण आवेदकगण के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही के आदेश दिनांक 29–5–15 को दिये हैं। दोनों आदेश पृथक–पृथक हैं, तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण को संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील सक्षम न्यायालय में दायर करना चाहिए थी। चूंकि तहसीलदार का उक्त आदेश, अंतिम हो गया है। आवेदक द्वारा निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को चुनौती इस आधार पर देना कि आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आवेदकगण को चार बार सूचना पत्र जारी किये जाने के बाद भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश